

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
**(हिंदी विभाग)**


संदर्भ:हिंदी/प्रशि./2023

17.11.2023

विषय: वरिष्ठ सचिवालय सहायक एवं कनिष्ठ सचिवालय सहायक का हिंदी टंकण प्रशिक्षण।

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी भाषा के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित वर्तमान लक्ष्य के अनुसार सभी वरिष्ठ सचिवालय सहायक एवं कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य है। राजभाषा विभाग द्वारा इस उद्देश्य हेतु टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

विभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि उनके विभाग में जो वरिष्ठ सचिवालय सहायक एवं कनिष्ठ सचिवालय सहायक भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष हैं उन्हें हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित आगामी पाठ्यक्रम में नामित करें। आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग में जिन कनिष्ठ सचिवालय सहायक और वरिष्ठ सचिवालय सहायक की नई नियुक्ति हुई है उनको भी हिन्दी विभाग के माध्यम से हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए नामांकित करें। नामांकन हेतु प्रोफॉर्मा एवम् कार्यक्रम संलग्न है।



(विनोद कालरा)  
प्रमुख (हिंदी)

भारतीय मानक ब्यूरो मुख्यालय के सभी विभागों को परिचालित।



सं. 19013/1/2023/केहिप्रसं/ 493-1293

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक : 16 अक्टूबर, 2023

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/उद्यम/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी

विषय : संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2024 में चलाए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन ऑफलाइन (फिजीकल) प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2024 में हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन ऑफलाइन (फिजीकल) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने हैं। हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं -

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

**हिंदी आशुलिपि**

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी आशुलिपि	अनुलग्नक 1 के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। <b>अनिवार्य:</b> सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों हेतु। <b>स्वैच्छिक:</b> अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/टंककों हेतु	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा।

\* हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्त संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे।

2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली/2-A, Prithvi Raj Road, New Delhi-110011 टेलीफैक्स/Telefax 011-23793517/23018740

ईमेल/e-mail : [tsgahan-cthi-dol@gov.in](mailto:tsgahan-cthi-dol@gov.in) वेबसाइट/Website : <http://cthi.rajbhasha.gov.in>

**हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण**

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण	अनुलग्नक 1 के अनुसार	<p>केवल उन्हीं अधिकारियों/ कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।</p> <p><b>अनिवार्य :</b></p> <p>सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/ अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं।</p> <p><b>स्वैच्छिक :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/ कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/ वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों (अराजपत्रित) के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि - वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।</li> <li>सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।</li> </ol>	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा।

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक समान हैं, परंतु ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अल्पकालिक गहन होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

### उप संस्थान

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता, सिकंदरानाद, बंगलुरु तथा मुंबई उप संस्थानों में भी चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

### प्रवेश का आधार

- पाठ्यक्रम में प्रवेश 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' के आधार पर दिया जाएगा।

### वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।
- राजपत्रित आशुलिपिकों को 75 प्रतिशत एवं अराजपत्रित आशुलिपिकों को 70 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार पाने के भी हकदार होंगे। वैयक्तिक वेतन/नगद पुरस्कार आदि का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है:-

### हिंदी आशुलिपि

1	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

### हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

### परीक्षा शुल्क

- ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं, किंतु केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय है। शुल्क का भुगतान अनुलग्नक-III पर उल्लिखित विधि के अनुसार "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना", नई दिल्ली/Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi को ऑनलाइन किया जा सकता है।

### छात्रावास

नई दिल्ली स्थित संस्थान में सीमित संख्या में प्रशिक्षार्थियों के ठहरने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन नई दिल्ली से बाहर स्थित उप संस्थानों में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहाँ प्रशिक्षार्थियों को अपने ठहरने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।


### नामांकन विधि

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, सिकंदराबाद, बंगलुरु एवं मुंबई स्थित उप संस्थानों के पते अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।
- अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम यथाशीघ्र इस कार्यालय को तथा अपने क्षेत्र में स्थित उप संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक (ट/आ) को सीधे भिजवाने का कष्ट करें। कृपया उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें जिन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निश्चित रूप से कार्यमुक्त किया जा सके।
- पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी को सत्र के मध्य में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें कि संबंधित केंद्र के सहायक निदेशक से पुष्टि प्राप्त होने पर ही अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
- इस संबंध में पत्र व्यवहार करते समय अपने कार्यालय का पूरा पता, दूरभाष संख्या और email का पता अवश्य लिखें, जिससे संपर्क करने में इस कार्यालय को सुविधा हो।

### विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है, कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी ई-मेल [tsgahan-ctti-dol@gov.in](mailto:tsgahan-ctti-dol@gov.in) द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय,



(ले.कॉर्नल रोहन शर्मा)

निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
3. निदेशक (सेवा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एन.डी.सी.सी. भवन, नई दिल्ली-110001.
4. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
5. निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
6. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
7. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
8. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी. भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001.
9. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. संयुक्त निदेशक (टं/आशु.), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
11. संयुक्त निदेशक (भाषा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
12. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु, कोलकाता, भोपाल, कोचीन, गुवाहाटी तथा गाजियाबाद।
13. उप निदेशक (भाषा)परीक्षा/मध्योत्तर/पूर्व/पूर्वोत्तर/दक्षिण/पश्चिम क्षेत्र, नईदिल्ली/कोलकाता/गुवाहाटी/चेन्नै/सिकंदराबाद तथा मुंबई।
14. उप निदेशक (टंकण पत्राचार), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
15. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
16. उप निदेशक (टंकण आशुलिपि) हिंदी शिक्षण योजना, पूर्व/पूर्वोत्तर, कोलकाता।
17. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
18. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) एवं नोडल अधिकारी (वेबसाइट अपडेट) अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, के.हि.प्र.सं., नई दिल्ली को इस निदेश के परिपत्र को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
19. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता/बेंगलुरु/हैदराबाद तथा मुंबई।
20. सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना।
21. सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

  
(ले.के.नं. रामरेश शर्मा)  
निदेशक

**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान**  
**राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय**

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, सिकंदराबाद, बेंगलुरु एवं मुंबई स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थानों में दिनांक 15.01.2024 से 13.12.2024 तक आयोजित किए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण।

**केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम**  
**I-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	15.01.2024 सं 11.03.2024	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	20.03.2024 से 20.05.2024	2-ए, पृथ्वीराज रोड,
3.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	03.06.2024 से 30.07.2024	(जे. एंड के. हाउस के सामने),
4.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	19.08.2024 सं 16.10.2024	नई दिल्ली -110 011
5.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	17.10.2024 से 13.12.2024	

**II-हिंदी आशुलिपि**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1.	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	19.08.2024 से 13.12.2024	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एंड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली -110 011

**कोलकाता/सिकंदराबाद/मुंबई एवं बेंगलुरु स्थित उप संस्थानों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम**  
**I-हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	15.01.2024 सं 11.03.2024
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	20.03.2024 से 20.05.2024
3.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	03.06.2024 से 30.07.2024

**II-हिंदी आशुलिपि**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	19.08.2024 से 13.12.2024

**विशेष टिप्पणियाँ**

यदि किसी कारणवश किसी प्रशिक्षण केन्द्र पर हिन्दी आशुलिपि गहन प्रशिक्षण कक्षाएँ गठित नहीं हो पाती हैं तो उसके स्थान पर हिन्दी शब्द संसाधन/हिन्दी टंकण गहन प्रशिक्षण कक्षाएँ निम्नलिखित दो सत्रों के लिए गठित एवं संचालित की जायेंगी:-

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	19.08.2024 सं 16.10.2024
2.	हिंदी श.सं./हिं.टंकण	40 कार्यदिवस	17.10.2024 से 13.12.2024



- |  |   |
|--|---|
| <p>1. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)<br/>केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान<br/>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय<br/>2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली 110 011</p> | <p>दूरभाष 011-23793517<br/>फैक्स 011-23018740, मो.नं. 7416551976<br/>ईमेल -<a href="mailto:tsgahan-ctti-dol@gov.in">tsgahan-ctti-dol@gov.in</a></p> |
|--|---|

**उप संस्थानों के पते**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)<br/>केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,<br/>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,<br/>कमरा नंबर-423, तीसरा तल, 01, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट,<br/>कोलकाता-700 001</p>                         | <p>दूरभाष 033-22304062<br/>मो. 7002900757<br/>ईमेल <a href="mailto:ctti1067@nic.in">ctti1067@nic.in</a><br/>ईमेल <a href="mailto:dhirajlaladhtsg@gmail.com">dhirajlaladhtsg@gmail.com</a></p>   |
| <p>2. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)<br/>केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,<br/>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,<br/>केंद्रीय सदन, छठी मंजिल, 'सी' विंग 601,<br/>सैक्टर-10, सीवीडी, बेलापुर,<br/>नवी मुंबई-400 614</p> | <p>दूरभाष 022-275727060<br/>दूरभाष 022-27572705<br/>फैक्स 022-27565417<br/>मो. 9540865812<br/>ईमेल-<a href="mailto:ctti1070-dol@nic.in">ctti1070-dol@nic.in</a></p>   |
| <p>3. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)<br/>केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,<br/>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,<br/>चौथा तल, कमरा नंबर-403,<br/>सी.जी.ओ. टॉवर्स, कवाड़ीगुड़ा,<br/>सिकंदराबाद-500 080</p>              | <p>दूरभाष 040-24767755/27532299/27537211<br/>फैक्स 040-27538866<br/>मो. 7907638288, 7736365909<br/>E-mail- <a href="mailto:ctti1068@nic.in">ctti1068@nic.in</a><br/>ईमेल-<a href="mailto:kumarsantoshnfc0788@gmail.com">kumarsantoshnfc0788@gmail.com</a></p> |
| <p>4. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)<br/>केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान,<br/>राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,<br/>'बी' विंग, 5<sup>वां</sup> तल,<br/>केंद्रीय सदन, कोरमंगला,<br/>बेंगलुरु - 560034</p>              | <p>दूरभाष 080-25537087<br/>मो. 8310869315<br/>ईमेल-<a href="mailto:ctti1064@nic.in">ctti1064@nic.in</a></p>   |

**ऑनलाइन फंडा जमा करने के स्टैप्स**  
स्टैप-1

सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) ओपन करें, फिर STATE BANK COLLECT उप-शीर्षक पर जाएँ।

अथवा

भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) के मुख्य शीर्षक STATE BANK OF INDIA पर क्लिक करें, फिर STATE BANK COLLECT नामक उप-शीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करें।

स्टैप-2

STATE OF CORPORATE/INSTITUTION में ALL INDIA का चयन करें, उसके बाद TYPE OF CORPORATE/INSTITUTION में GOVERNMENT DEPARTMENT चुनें एवं GO पर क्लिक करें।

स्टैप-3

GOVERNMENT DEPARTMENT का नाम वाले बॉक्स में पुल-डाउन मेन्यू में HINDI TEACHING SCHEME, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE MHA का चयन करें।

स्टैप-4

SELECT PAYMENT CATEGORY में HINDI TEACHING SCHEME को चुनें, अब एक फार्म खुल जाएगा।

स्टैप-5

फार्म को भरने के बाद SUBMIT करें, फिर अपने भरे हुए विवरण को CONFIRM करके PAYMENT करें।

स्टैप-6

PAYMENT करने के बाद RECEIPT के पॉट की प्रति उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजना अनिवार्य है।